HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 1142/2026

Om Prakash S/o Shri Jagram,

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Nikhlesh Katara, Adv. Mr. Vishnu Kumar Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. M S Shekhawat, PP Mr. J K Moolchandani, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

29/04/2026

विद्वान लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई की तिथि पर प्रकरण के अनुसंधान के संबंध में तथ्यात्मक/प्रगति रिपोर्ट तलब कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

अंतरिम आदेश पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याची का निवेदन है कि उसे मुख्य अभियुक्त सुखलेश द्वारा अपनी भूमि विक्रय करने हेतु पॉवर आफ एटोर्नी दिनांक 08.09.2025 को दी गयी थी, तत्समय राजस्व रिकोर्ड में यह भूमि सुखलेश के नाम थी, यह भूमि सुखलेश ने परिवादी पुष्पा अरोडा को विक्रय कर रखी हो, यह तथ्य पॉवर आफ एटोर्नी में उल्लेखित नहीं है तथा न ही इस तथ्य की उसे जानकारी है, मामला पूर्णतः सिविल प्रकृति का है।

विद्वान अधिवक्ता परिवादी का निवेदन है कि अभियुक्त की इस मामले में सक्रिय भूमिका रही है, वह उसी गांव का निवासी था, पूर्व विक्रय की जानकारी अभियुक्त ओमप्रकाश को भी थी।

यह निर्विवाद है कि परिवादीया पुष्पा अरोडा को अभियुक्त सुखलेश द्वारा विवादित भूमि दिनांक 05.12.2011 को पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिए विक्रय

कर दी, लेकिन किन्हीं कारणों से राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि परिवादीया के नाम अंकित नहीं हुई। कालान्तर में दिनांक 08.09.2025 को सुखलेश द्वारा इसी भूमि को विक्रय करने हेतु ओमप्रकाश को पॉवर आफ एटोर्नी दी, जिसके अनुसरण में उसके द्वारा संपत्ति अन्य व्यक्ति को विक्रय की गयी। अभियुक्त सुखलेश से प्रार्थी का मामला भिन्न है।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि **आज से 15 दिन** में अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में सहयोग करे तथा इस शर्त के साथ अभियुक्त को आगामी पेशी तक पुलिस थाना **मथुरागेट जिला भरतपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **45/2026** में गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया जाता है।

पत्रावली चार **सप्ताह बाद** न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma/27